न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 55/2020

1. श्री अमान
2. श्री घेवर

दोनो पुत्रगण श्री गायड जाति रेबारी निवासी राईकों की ढाणी ग्राम मेवाडिया
तहसील पीसागंन जिला अजमेर ....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्री किशना पुत्र श्री गायड (फोत) जरिये विधिक वारीसान
   (1) श्रीमती दरिया पत्नि स्व. श्री किशना
   (2) श्री राकेश पुत्र स्व. श्री किशना
3. श्री बहादुर पुत्र श्री गायड
4. श्री मकराम पुत्र श्री गायड

क्रम संख्या 2 से 4 की जाति रेबारी निवासी राईकों की ढाणी ग्राम मेवाडिया
तहसील पीसागंन जिला अजमेर ... अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 सपठित धारा 209 व 88 काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :– श्री विजय प्रकाश कुमावत – अभिभाषक प्रार्थीगण
स्वयं उपस्थित – अप्रार्थी संख्या 2 से 4

–: निर्णय :– दिनांक 25.08.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 सपठित धारा 209 व 88 काश्तकारी अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का मेवाडिया तहसील पीसागंन के खाता संख्या नया 272 पुराना 249 खसरा संख्या 108, 109, 109/1889, 229, 230, 230/1782, 231, 231/1783, 232, 78 किता 10 रकबा 2.88 है. आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी रही है। प्रार्थीगण अशिक्षित होने से अपने मवेशियों को चराने के लिये वर्ष पर्यन्त के अधिकांश समय तक बाहर ही रहते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये गये तब मालूम हुआ कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगणों के नाम अमान पुत्र गायड की जगह कल्याण पुत्र गायड व घेवर पुत्र गायड की जगह गेपर पुत्र गायड दर्ज है। प्रार्थीगण का अन्य दस्तावेजों में राशन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड सभी दस्तावेजों में अमान व घेवर ही दर्ज है जिनके पिता का नाम गायड जाति रेबारी राईकों की ढाणी ग्राम मेवाडिया है । परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत अकंन होने से बैंक से ऋण एंव अनुदान प्राप्त करने से वचिंत होना पड रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने इकबालिया बयान दिये कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम केसरपुरा पटवार क्षैत्र मेवाडिया तहसील पीसागंन के खाता संख्या नया 272 पुराना 249 खसरा संख्या 108, 109, 109/1889, 229, 230, 230/1782, 231, 231/1783, 232, 78 किता 10 रकबा 2.88 है. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कल्याण पुत्र गायड के स्थान पर कल्याण उर्फ [illegible]मान पुत्र गायड एंव गेपर पुत्र गायड के स्थान पर गेपर उर्फ घेवर पुत्र गायड का अकंन किया [illegible] इन्द्राज यथावत।**

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा [illegible] हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)